दिनांक 06.12.2024
प्रेस विज्ञप्ति 08/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद शामली/थाना कांधला

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 06.12.2024 को थाना कांधला व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त जगतार सिंह को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कांधला पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध थाना कांधला पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– जगतार सिंह निवासी ग्राम डालो, नवीपुर थाना सरहिन्द जनपद फतेहगढ़, पंजाब।

जनपद रामपुर/थाना टांडा

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 2500/–रूपये नगद**
- **01 इन्वेटर लिवगार्ड**
- **01 बुलेट मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 06.12.2024 को थाना टांडा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जटपुरा पुलिया के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त आलम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 2500/–रूपये नगद, 01 इन्वेटर लिवगार्ड, 01 बुलेट मोटर साइकिल बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना टांडा जनपद रामपुर से वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद मुरादाबाद, रामपुर के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 20 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना टांडा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—आलम निवासी खाईखेडा थाना मुण्डापाण्डे जनपद मुरादाबाद।

बरामदगी

1—चोरी के 2500/—रूपये नगद।

2—01 इन्वेटर लिवगार्ड।

3—01 बुलेट मोटर साइकिल।

जनपद मैनपुरी/थाना औंछा

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉक: 06.12.2024 को थाना औंछा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नगला कन्हाई मोड़ से पुरस्कार घोषित अभियुक्त हर्षित राघव को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कुरावली पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद मैनपुरी के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना औंछा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–हर्षित राघव निवासी भोजपुर थाना सकरौली जनपद एटा।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद सहारनपुर/थाना जनकपुरी

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **चोरी के भारी मात्रा में सोने–चॉदी के आभूषण आदि बरामद**

दिनॉकः 05.12.2024 को थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जमालपुर पुलिया के पास से 03 अभियुक्तों 1–निशांत उर्फ अंशु 2–अनुज उर्फ अन्नु 3–सचिन कुमार को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के भारी मात्रा में सोने–चॉदी के आभूषण आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 03.12.2024 को थाना जनकपुरी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–निशांत उर्फ अंशु निवासी गली नं0'06 छज्जोपुर थाना वैलकम दिल्ली।

2–अनुज उर्फ अन्नु निवासी गली नं0–04 शिवाजी मार्ग छज्जुपुर शाहदरा थाना वैलकम , दिल्ली।

3–सचिन कुमार निवासी मोहल्ला बक्काबाद कस्बा व थाना बछरायू जनपद अमरोहा।

बरामदगी

1–चोरी के भारी मात्रा में सोने–चॉदी के आभूषण आदि।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–113

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटे गये 07 मोबाइल फोन**
- **लूट के माल ब्रिकी के प्राप्त धन 35 हजार 200 रूपये**
- **01 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 05.12.2024 को थाना सेक्टर–113 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एफएनजी रोड पर पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त 1–नरेश उर्फ देवा 2–ऋषभ घायल हो गये, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये 07 मोबाइल फोन, लूट के माल ब्रिकी के प्राप्त धन 35 हजार 200 रूपये, 01 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त नरेश उर्फ देवा के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, एनडीपीएस एक्ट, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 01 दर्जन अभियोग व अभियुक्त ऋषभ के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 26 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–113 पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नरेश उर्फ देवां निवासी अंधियार थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर हालपता–विजयनगर, गाजियाबाद।

2–ऋषभ निवासी ग्राम सर्फाबाद थाना सेक्टर–113 गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1—लूटे गये 07 मोबाइल फोन।

2—लूट के माल ब्रिकी के प्राप्त धन 35 हजार 200 रूपये ।

3—01 मोटर साइकिल।

4—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद मैनपुरी/थाना करहल

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 05 लाख रूपये कीमत के 50 किलोग्राम अवैध गांजा**
- **घटना में प्रयुक्त केन्टर बरामद**

दिनॉकः 06.12.2024 को थाना करहल पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सैफई बाईपास से 02 अभियुक्तों 1—पवन 2—अजीत उर्फ अमित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 05 लाख रूपये कीमत के 50 किलोग्राम अवैध गांजा, घटना में प्रयुक्त केन्टर बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना करहल पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—पवन निवासी धनेज थाना करागहर जनपद रोहितास सासाराम, बिहार।

2—अजीत उर्फ अमित निवासी मठिया थाना करागहर जनपद रोहितास सासाराम, बिहार।

बरामदगी

1—लगभग 05 लाख रूपये कीमत के 50 किलोग्राम अवैध गांजा।

2—घटना में प्रयुक्त केन्टर।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना देवा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड व 02 अभियुक्तों 02–02 वर्ष के कारावास की सजा व 05–05 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना देवा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/304बी/201 भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–प्रेमशंकर को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड व धारा 201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 2–रामहेत 3–अभियुक्ता को 02–02 वर्ष के कारावास व 05–05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद चित्रकूट/थाना मऊ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद चित्रकूट पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद चित्रकूट द्वारा थाना मऊ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत 02 अभियुक्तों 1–शिव औतार 2–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद गोरखपुर/थाना गगहा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा थाना गगहा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त चन्द्रशेखर को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद एटा/थाना रिजोर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 20–20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व अर्थदण्ड)</u>**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना रिजोर पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त शिवम उर्फ गुन्नु को धारा 363/366 भादवि व धारा 06 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 75 हजार रूपये अर्थदण्ड व अभियुक्त सुदेश को धारा 06 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बस्ती/थाना कोतवाली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 01–01 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 09 लाख 12 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बस्ती द्वारा थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 60 आबकारी एक्ट के अन्तर्गत 02 अभियुक्तों 1–रामशंकर 2–राजकुमार को 01–01 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को **04 लाख 56 हजार रूपये अर्थदण्ड** की सजा सुनाई गयी।

———